

डिग्री व मुकदमें ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 17/2025

1. सुखपाल सिंह पुत्र श्री जलावर सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

-वादीगण

बनाम्

1. अमरजीत सिंह पुत्र श्रीकरतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया।
2. कौर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया।
3. जलावर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया।
4. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री नहर सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया।
5. सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री नर सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया।
6. आदराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया।
7. नवनीत पुत्र श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया।
8. दीपक पुत्र श्री आदराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया।
9. तिहरीलदर (राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण



राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कलक्टर रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- तहसील संगरिया के चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 87/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 3.479 है. कृषिभूमि में से 0.215 है. कृषिभूमि के प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित करवादीगण का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 5/2 जमाबन्दीसम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 6.881 है. कृषि भूमि में से 0.379 है. कृषिभूमि के प्रतिवादी सं. 4 व 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/55 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 4 व 5 के नाम से 10.351 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.215 है. कृषिभूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को 0.379 है. कृषिभूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 व 5 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क) वादीगण सुखपाल सिंह पुत्र श्री जलावर सिंह एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री कौर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की व.हि.व.कृषिभूमि:-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 88/5 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206/148 32 21/0.215 है. कुल 0.215 है. कृषिभूमि

(ख) वादी सं. 1 सुखपाल सिंह पुत्र श्री जलावर सिंह जाति जटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)के हकहिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 9/5 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206/147 23 4/0.240 है.

206/148 32 7.14/0.253 है.प्र.कुल 0.746 है. कृषि भूमि

(क) वादीगण सुखपाल सिंह पुत्र श्री जलावर सिंह (0.1000 है.) एवं गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री कौर सिंह (1.530 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 87/13 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206/147 23 1, 2/0.253 है.प्र., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
11 ता 14/0.253 है.प्र. 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

206/148 32 18,23/0.253 है.प्र.कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषिभूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः अमरजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, कौर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह व जलावर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढावां तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जा काशत की व.हि.व. कृषिभूमि:-चक 5बी.जी.पी. खाता सं.5/2 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206/144 13 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है.,
6/2/0.025 है., 7ता11/0.253 है.प्र., 12/2/0.202 है.,
13/2/0.228 है., 14/0.253 है., 15/1/0.228 है.,
15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17/0.253 है., 24/0.253 है., 25/1/0.228 है.,
25/2/0.025 है.

206/147 23 3,7,8,9,10/0.253 है.प्र.

207/144 12 19,20/0.253 है.प्र.

206/148 32 9,12,19,22/0.253 है.प्र. कुल6.502 है. मय गै.मु. कृषिभूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 88/5 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206/148 32 10/0.044 है., 11/0.044 है., 20/0.253 है.,
21/0.038 है.कुल0.379 है. कृषिभूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री नरसिंह एवं सुखमन्दर सिंह पुत्र श्रीनर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की व.हि.व.कृषिभूमि:-

चक 5बी.जी.पी.खाता सं.88/5 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206/147 23 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17ता19/0.253 है.प्र., 20/1/0.038 है.
21ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

206/148 32 2/1/0.127 है., 3,4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है.,
5/2/0.025 है., 10,11/0.209 है.प्र.

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

207 / 147 24 9,11,12,13 / 0.253 है.प्र., 14 / 1 / 0.165 है.
 18 / 2 / 0.202 है., 19 ता 24 / 0.253 है.प्र.,
 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है.
 207 / 151 44 6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है., 7 / 0.253 है.,
 8 / 1 / 0.190 है., 13 / 1 / 0.190 है., 14 / 0.253 है.,
 15 / 1 / 0.228 है., 15 / 2 / 0.025 है., 16 / 1 / 0.228 है.,
 16 / 2 / 0.025 है., 17 / 0.253 है., 18 / 1 / 0.190 है.,
 23 / 2 / 0.190 है., 24 / 0.253 है., 25 / 1 / 0.228 है.,
 25 / 2 / 0.025 है.
 208 / 151 45 10 / 1 / 0.051 है., 11 / 1 / 0.051 है., 20 / 1 / 0.051 है.,
 21 / 1 / 0.051 है.

कुल 9.757 है. मय गै.मु. कृषिभूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 87 / 13 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206 / 147 23 20 / 2 / 0.215 है.

कुल 0.215 है. कृषिभूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 5 / 2 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206 / 148 32 1 / 0.253 है., 2 / 2 / 0.126 है. कुल 0.379 है. कृषिभूमि

प्रतिवादी सं. 6 आदराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि:-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 87 / 13 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206 / 146 22 21,22 / 0.253 है.प्र., 23 / 1 / 0.228 है. कुल 0.734 है. कृषिभूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 6 ता 8 क्रमशः आदराम पुत्र श्रीरामरख (0.519 है.), नवनीतपुत्र श्री आदराम (1.265 है.) व दीपक पुत्र श्री आदराम (1.265 है.) समस्त जाति जाट निवासी गण ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषिभूमि:-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 9 / 5 जमाबन्दीसम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

206 / 146 22 24 / 0.253 है.प्र., 25 / 1 / 0.228 है., 25 / 2 / 0.025 है.

206 / 147 23 4 / 0.013 है., 5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है.

207 / 146 21 14,17 ता 24 / 0.253 है.प्र. कुल 3.049 है. मय गै.मु. कृषिभूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज...~~निल~~...~~मुब्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा

शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...~~अदा~~ करें।

बसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक जज एवं
 उष्युक्त अधिकारी,
 संगरिया